58/8.5.19

2019/00103

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री सुखराम पुत्र श्री वीर सिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल आबाद 3 एसएनएम श्रीनगर तहसील व जिला हनुमानगढ ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र,,मुत्यु प्रमाण पत्र,, वारिसनामा पत्र,मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता श्रीमती रामकौर पुत्री वरयाम सिंह पत्नी श्री वीर सिंह निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने वसीयत दिनांक 22.02.2017 को करवाई थी। प्रार्थी की माता का देहान्त दिनांक 16.01.2019 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 22.02.2017 को करवायी गयी बंद वसीयत करवायी गयी थी जिसको खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान श्री रामप्रताप पुत्र श्री जीत सिंह एवं श्री रोशन लाल पुत्र श्री ध्यान सिंह ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान श्री रामेश्वर लाल सुथार, श्रीगंगानगर द्वारा की है। वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है। [signature] 8/5/19

2. जिला पंजीयक महोदय

क्या कोई विधिक अड़चन है?

[signature] 8/5/19

[signature]

3. Sir, पैरा नं0 2 के क्रम में निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वसीयत खुलवाने की कार्यवाही में कोई विधिक अड़चन नहीं है। बल्कि, वसीयत खुलवाने की विधिसम्मत कार्यवाही की जानी [signature] 8/5/19

प्रस्तावित